आवश्यक

संख्या:42/2019/2997/12-2-2019-14/2016

प्रेषक,

राजेन्द्र कुमार तिवारी,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

कृषि अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: 19 अक्टूबर, 2019

विषय: खरीफ मौसम के फसलों के अवशेष को जलाये जाने से उत्पन्न हो रहे प्रदूषण की रोकथाम के लिए मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेश दिनांक 15 अक्टूबर, 2019 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया शासनादेश संख्या: 39/2019/2882/12-2-2019-14/2016 दिनांक 04 अक्टूबर, 2019 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा दिनांक 07 अक्टूबर, 2019 तक शासन स्तर एवं जनपद स्तर पर एक सेल का गठन करते हुए प्रत्येक दिन अनुश्रवण किए जाने के निर्देश दिये गये थे। शासनादेश द्वारा प्रत्येक गांव के ग्राम प्रधान एवं क्षेत्रीय लेखपाल को किसी भी दशा में अपने से संबंधित क्षेत्र में पराली/कृषि अपशिष्ट न जलाये जाने हेतु कार्य किए जाने के निर्देश दिये गए थे।

2. उक्त प्रकरण गंगा लालवानी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एण्ड अदर्स में दिनांक 15 अक्टूबर, 2019 को मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पुन: सुनवाई की गयी। सुनवाई के पश्चात मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा निम्नवत आदेश जारी किया गया है:-

> "It is clear that steps taken are inadequate and do not provide for ground checking and vigilance and extinguishing of illegal fires. Preventive remedies of communicating with the farmers the disadvantages of burning are also unsatisfactory and ineffective. There is no effective incentive mechanism. The effective steps should include successful communication with the farmers, effective prevention of fires, supply of suitable equipment without unbearable cost for the farmer, change of crop patterns, use of labour by Panchayats under Rural Employment Guarantee Scheme, purchase of crop residue for fuel or composting and fixing accountability of officers for the failure.

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

The Central Government as well as States may place on their respective websites the data of fire incidents, responsible officers for the subject for the entire areas and action taken for the failures on daily basis."

3. उक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निम्नलिखित कदम प्राथमिकता पर उठाये जायें:-

(1) कृषकों के मध्य फसल अवशेष जलाने से मिटटी, जलवायु एवं मानव स्वास्थ्य को होने वाली हानि के विषय में अवगत कराया जाए। उन्हे यह भी अवगत कराया जाए कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेशानुसार यह दण्डनीय अपराध है।

(2) राजस्व ग्राम अथवा राजस्व ग्राम के क्लस्टर के लिए एक राजकीय कर्मचारी को नोडल अधिकारी नामित किया जाए, जिसका यह दायित्व होगा कि वह फसल अवशेष को न जलने देने के लिए समस्त कदम उठाये।

(3) ग्रामवार अथवा क्लस्टरवार उत्तरदायी कर्मचारी की सूची तैयार कर दिनांक 19 अक्टूबर, 2019 तक प्रत्येक दशा में निदेशक, कृषि को ई-मेल dirag@nic.in के माध्यम से उपलब्ध कराया जाए ताकि इसे मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण के अवलोकनार्थ वेबसाइट पर अपलोड किया जा सके।

(4) जिन कृषकों के द्वारा पराली जलाये जाने की घटना सामने आती है, उनके विरूद्ध राजस्व अनुभाग के शासनादेश संख्या: 1618/1-9-2017-रा-9 दिनांक 13 नवम्बर, 2017 के अनुरूप दण्डात्मक कार्यवाही की जाए। आवश्यकता पडने पर प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज करायी जाए।

(5) जिन क्षेत्रों में ऐसी घटनाये होती हैं, उनके लिए उत्तरदायी कर्मचारी के विरूद्ध भी कार्यवाही की जाए।

(6) इन-सीटू योजना के अन्तर्गत जनपदों को दिये गये लक्ष्य के अनुसार यंत्र वितरण की कार्यवाही को 20 अक्टूबर, 2019 तक शत-प्रतिशत पूरा कर लिया जाए।

(7) समस्त थाना प्रभारियों को भी निर्देशित करें कि अपने क्षेत्र में फसल अवशेष को जलाने से रोकने के लिए प्रभावी कार्यवाही करें एवं किसी भी दशा में फसल अवशेष को न जलने दें।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(8) कृत दैनिक कार्यवाही की आख्या शासन स्तर पर प्रमुख सचिव, कृषि के ई-मेल am.prasad@nic.in/viss.mkumar1973@gmail.com तथा कृषि निदेशालय के ई-मेल dirag@nic.in पर अगले दिन प्रात: 11.00 बजे तक उपलब्ध करायी जाए।

उक्त का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित करें।

संलग्नक: मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण का आदेश दिनांक 15 अक्टूबर, 2019

भवदीय,

(राजेन्द्र कुमार तिवारी)
मुख्य सचिव।

संख्या:42/2019/2997(1)/12-2-2019 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. अपर मुख्य सचिव, राजस्व विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3. प्रमुख सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, उत्तर प्रदेश शासन।
4. प्रमुख सचिव, पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
5. प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
6. पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को इस अनुरोध से कि कृपया अपने स्तर से भी जनपद के पुलिस अधिकारियों को मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेश के परिपालन में फसल अवशेष जलने की घटनाओं को रोकने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करने का कष्ट करें।
7. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश को इस आशय से कि अपने स्तर से भी जनपदों द्वारा की जा रही कार्यवाही की नियमित समीक्षा करें।
8. कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को इस निर्देश के साथ कि कृत कार्यवाही की आख्या प्रतिदिन विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।

आज्ञा से,

(अमित मोहन प्रसाद)
प्रमुख सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।